



प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक 08 सितम्बर, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुक्खू पासी पुत्र श्री महाराजदीन उर्फ महारानीदीन, निवासी जनपद-प्रयागराज की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0) कारागार के पत्र संख्या-13424/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-23.02.2026, दिनांक 07.04.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुक्खू पासी पुत्र श्री महाराजदीन उर्फ महारानीदीन, सेवइत, थाना-सोरांव, जनपद-प्रयागराज का निवासी है। बन्दी द्वारा पारिवारिक विवाद को लेकर दिनांक 04.07.2005 को 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर लाठी-डण्डा से मारकर 01 महिला की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1282/2005 में भा0द0वि0 की धारा-304/34 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं०-01, इलाहाबाद के दण्डादेश दिनांक 30.04.2022 द्वारा 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में बन्दी की अपील लम्बित है। बन्दी द्वारा दिनांक 08.09.2025 तक अपरिहार 03 वर्ष, 06 माह, 22 दिन तथा सपरिहार 04 वर्ष, 01 माह, 22 दिन की सजा भोगी गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी को मा0 न्यायालय द्वारा प्रदत्त 10 वर्ष सश्रम कारावास के सापेक्ष दिनांक 08.09.2025 तक अपरिहार 03 वर्ष 06 माह, 22 दिन तथा सपरिहार 04 वर्ष, 01 माह, 22 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष समयपूर्व रिहा होने पर समाज में प्रतिकूल संदेश जाने, बन्दी के स्वास्थ्य की दशा सामान्य होने तथा पुलिस उपायुक्त/जिला मजिस्ट्रेट, प्रयागराज द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुक्खू पासी (बन्दी संख्या-353/2022) पुत्र श्री महाराजदीन उर्फ महारानीदीन, निवासी जनपद-प्रयागराज की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव

संख्या-1193/2026/723(1)/22-2-2026 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- जिला मजिस्ट्रेट, प्रयागराज।
- 2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार नैनी, प्रयागराज।
- 3- निजी सचिव, मा० मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ०प्र० शासन को मा० मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 4- निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ०प्र० शासन को मा० मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव